न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 142/2021 (2021/474) दर्ज दिनांक 17.12.2021
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

विष्णुकुमार पिता बरदीचन्द सुवालका निवासी नांदशा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा। –प्रार्थी

बनाम

1. मूलचन्द पिता मेघा तेली निवासी आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती चन्दा पत्नि राजकुमार जोशी निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. गोरधन पिता कानुदास वैष्णव निवासी आमली हाल निवास पुर तहसील व जिला भीलवाड़।
4. प्रबंधक /वार्डन अनुसरसूचित जाति जनजाति आवासीय छात्रावास आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीः–श्री हेमेन्द्र सुवालका

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–22.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम आमली पटवार हल्का आमली तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4293/2986 रकबा 0.14 हे0 किस्म बीड कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 496 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम आमली पटवार हल्का आमली तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4293/2986 रकबा 0.14 हे0 किस्म बीड़ कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 496 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियां का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु- अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

Scanned with OKEN Scanner